

## अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण

अक्षय ऊर्जा का कार्यक्षम स्वच्छ व सतत ऊर्जा जो हर जगह स्वीकार्य है प्रदान करना है। भारत सरकार बिजली नियम 2003 तथा राष्ट्रीय बिजली योजना और जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर लक्ष्य को आरंभ करने के माध्यम से अक्षय ऊर्जा के प्रचार पर अधिक ध्यान दे रही है। अक्षय ऊर्जा को भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन की राष्ट्रीय कार्य योजना में केंद्रीय स्थान प्राप्त हुआ है।

पीएफसी ने हाल ही में पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (पीएफसी-जीईएल ) का गठन, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के तौर पर, अक्षय ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं जैसे वायु, जैव ईंधन, लघु जल, सौर आदि के व्यापार के विकास पर ध्यान देने तथा बढ़ाने के लिए किया था। पीएफसी- जीईएल ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं के वित्तपोषण पर लक्ष्य निर्धारित किया है। पीएफसी-जीईएल अक्षय ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं के लिए विशिष्ट ब्याज-दर प्रदान करता है तथा सभी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने के लिए उत्सुक रहेगा।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें :

श्री ए. चक्रवर्ती  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
'ऊर्जा निधि'  
1, बाराखंबा लेन,  
कनाॅट प्लेस  
नई दिल्ली-110001  
दूरभाषा: 91-11-23456687  
फैक्स #:91-9868549022

श्री आर. आर. झा  
महा प्रबंधक (आरई एंड सीएमडी )  
'ऊर्जा निधि'  
1, बाराखंबा लेन,  
कनाॅट प्लेस  
नई दिल्ली-110001  
दूरभाषा: 91-11-23456689  
फैक्स #:91-9868540105